



महाराष्ट्र शासन  
वनविभाग

उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभाग, यांचे कार्यालय मुल रोड, चंद्रपूर

दूरध्वनी क्र 233508/250561-07172 .E-mail :- dycfcentralchanda@mahaforest.gov.in

क्रमांक- कक्ष/संवस/नॉड/२०२२-२३/१७०७

चंद्रपूर, दिनांक :- १७/०६/२०२३

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,  
चंद्रपूर वनविभाग, चंद्रपूर

**विषय :-** वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत मौजा चक फुटाणा ते चक नवेगाव रस्ता बांधकामाकरीता २.३४२७ हे.आर.

वनजमीन वळतीकरण करणे बाबतचा प्रस्ताव.

**संदर्भ :-** १) शासन पत्र क्रमांक एफएलडी-३६२३/प्र.क्र.२९/फ-१० दिनांक १०/०२/२०२३.

२) प्रकल्प यंत्रणेचे पत्र क्रमांक ७० दिनांक १७/०२/२०२३ प्राप्त दिनांक २४/०२/२०२३.

---०००---

संदर्भित शासन पत्रान्वये उपरोक्त विषयांकीत प्रस्तावात प्रकल्प यंत्रणा स्तरवरील नोंदविलेल्या आक्षेपांची पूर्तता प्रकल्पे यंत्रणेने केलेली आहे. सुलभ संदर्भाकरीता प्रकल्प यंत्रणेचा पूर्तता अहवाल सोबत संलग्नीत आहे. वनविभागाशी संबंधित त्रुटिची पूर्तता खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | घेतलेले आक्षेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पूर्तता अहवाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | केंद्रस्थ अधिकारी यांनी पर्यायी वनीकरणासाठी मौजे गुंडवळ ता. माहुर, जि. नांदेड येथील सर्व्हे क्रमांक ७० मधील १८.१८ हे. वनेत्तर जमीन प्रस्तावीत केली आहे. सदर जमीन अन्य एका प्रस्तावामध्ये (राज्यमार्ग क्रमांक २६१, चुंचा-मनाठा-बारड-मुखेड रोड आणि मुदखेड - गडगा-खंडगाव-मुखेड-सावरगाव (बु.) जांब, या रस्त्याचे कामासाठी नांदेड जिल्ह्यातील १८.१८ हे. वनजमीन वळतेकरणाचा प्रस्ताव) पर्यायी वनीकरणासाठी प्रस्तावीत केली आहे. या बाबत अधिक स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. | प्रस्ताव सादर करतांना या कार्यालयाकडून प्रस्तावासोबत असे कोणतेही दस्तावेज जोडण्यात आलेले नाही.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २      | पर्यायी वनीकरणाकरीता प्रस्तावीत करण्यात येणारी जमीन सुयोग्य असल्याबाबतचे उपवनसंरक्षक यांचे प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा, पर्यायी वनीकरणाची योजना इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                             | केंद्र शासनाचे दिनांक १३ मे २०११ व सुधारीत पत्र दिनांक १६ जुन २०११ मधील मार्गदर्शक सुचने प्रमाणे प्रकल्प बाधीत वनक्षेत्र ५.०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्याने पर्यायी वनीकरण घेण्याची सुट दिलेली आहे. करीता पर्यायी वनीकरणाकरीता प्रस्तावीत करण्यात येणारी जमीन सुयोग्य असल्याबाबतचे उपवनसंरक्षक यांचे प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा, पर्यायी वनीकरणाची योजना इत्यादी कागदपत्रे जोडण्याची आवश्यकता नाही. |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | उपवनसंरक्षक यांनी स्थळ पाहणी अहवालामध्ये प्रस्तावीत क्षेत्रामध्ये वाघ दिसून येत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तावीत वनजमीन ही व्याघ्र भ्रमण मार्गाचा भाग आहे किंवा कसे, तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ३८ O(i)(g) नुसार वन्यजीव मंजूरीची आवश्यकता आहे किंवा कसे, याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांचे अभिप्राय घेवुन, माहिती सादर करावी. | प्रस्तावीत वन क्षेत्र व्याघ्र भ्रमण मार्गात समाविष्ट नाही तसेच अभयारण्यात समाविष्ट नाही. त्यामुळे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ३८ O(i)(g) नुसार वन्यजीव मंजूरीची आवश्यकता नाही. |
|   | प्रस्तावित क्षेत्र मौजे लानी रिठ, कक्ष क्रमांक ५५२ B, मौजे नवेगाव मोरे कक्ष क्रमांक ५४७ A व चक फुटाणा कक्ष क्रमांक ५५१ E या क्षेत्राचे अधिकार अभिलेख (७/१२ उतारे) सादर करावेत.                                                                                                                                                                                               | कक्ष क्रमांक चे ७/१२ अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे अधिसूचनेची प्रत सोबत जोडण्यात येत आहे.                                                                                                        |
| ५ | वळतीकरणासाठी प्रस्तावित क्षेत्राच्या गावाचे नांव, सर्व्हे क्रमांक/गट क्रमांक, कक्ष क्रमांक, गावनिहाय / कम्पार्टमेंट निहाय क्षेत्र इत्यादी माहितीसह, सुधारीत KML File सादर करावी.                                                                                                                                                                                             | सिडी फॉर्म मध्ये सोबत जोडण्यात आलेली आहे.                                                                                                                                                   |
| ६ | मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर यांनी वनभंग झालेल्या क्षेत्राच्या दुप्पट अवनत क्षेत्रावर पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी शिफारस केल्याप्रमाणे आवश्यक रक्कम भरण्यास प्रकल्प यंत्रणेने तयार आहे किंवा कसे, त्याबाबत माहिती सादर करावी.                                                                                                                                                     | प्रकल्प यंत्रणेचे हमीपत्र सोबत जोडण्यात आले आहे. तसेच दुप्पट अवनत वनक्षेत्राची निव करून पर्यायी रोपवन कामाचे अंदाजपत्रव नकाशे सोबत सादर करण्यात येत आहे.                                    |

सहपत्र :- वरील प्रमाणे

  
(श्वेता बोड्डे)

उपवनसंरक्षक,



मध्य चांदा वनविभाग, चंद्रपूर

प्रतिलिपी :- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग चंद्रपूर यांना माहितीस व उचित कार्यवाहीस अग्रेषित.